न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 31/2019 G.C.M.S. No. 2019/00241 दर्ज दिनांक : 29.05.2019

अपीलार्थिगण:

1. हंसाराम पुत्र नेमाजी जाति सिरवी, निवासी गांव दादाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जेताराम पुत्र पेमारामजी
2. नगाराम पुत्र नेमाजी जातिगण सिरवी, निवासीगण गांव दादाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।
3. तहसीलदार देसूरी भूमिधारी राज्य सरकार।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2019 बअनवान हंसाराम बनाम जेताराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2018

उपस्थित–

1. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री लक्ष्मण के. चौधरी विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2
3. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांक: 28.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2019 बअनवान हंसाराम बनाम जेताराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया था कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि वाद पत्र में वर्णित पद संख्या 1 अनुसार गांव दादाई तहसील देसूरी में आई हुई स्थित है। जिसका मौके पर भौतिक रूप से बंटवाड़ा किया जाकर बहिस्सा बराबर बराबर किया जावें। इस अनुरूप अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त प्राथमिक डिक्री पर पारित आदेश से पटवारी हल्का दादाई द्वारा मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित बंटवाड़ा मय नक्शा एवं प्रस्तावित खाता बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस रिपोर्ट बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.5.2019 को अपीलांट द्वारा आपत्ति पेश की गई, जिस प्रस्तुत आपत्ति को अस्वीकार कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। जोकि निरस्त योग्य है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बाबत प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने तथा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट किसी भी स्थिति में स्पीकिंग ओर्डर की परिभाषा में नहीं आते हैं, न ही विधि अनुसार ही कार्यवाही की गई, न ही विधि अनुसार ही आदेश पारित किया गया है। जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश काबिल अपास्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स का उद्देश्य ये ही है कि खातेदारान हिस्सेदारों को बहिस्सा बराबर–बराबर सभी स्थितियों में समान रूप से विभाजन करने का है, न की मुख्य सड़क वाला हिस्सा अपने चहेते खातेदारों को दिया जाना। जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होकर काबिल ए अपास्त होने योग्य हैं। उक्त प्रकरण में दोनों प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट को प्राप्त सम्पूर्ण हिस्सा मुख्य सडक वाला दिया गया है। जबकि अपीलांट को केवल मात्र आवागमन वाला हिस्सा ही मुख्य सडक पर दिया गया है तथा कुंआ एवं सड़ा वाला हिस्सा सभी के बहिस्सा बराबर–बराबर होने के कारण उक्त आवागमन के हिस्से में भी बाधक होना, अपने आप में प्रकट होता है जो किसी भी रूप से विधिक हिस्से नहीं कहे जा सकते हैं। साथ ही एक्ट की मंशा के अनुरूप भी न होकर अपने चेहेतों को फायदा पहुंचाने के एक मात्र उद्देश्य से किये जाने की मंशा साफ प्रकट होती हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश में कब्जे के अनुरूप बंटवाड़ा किये जाने का आदेश पारित किया, जो विधि अनुसार सही नहीं हैं तथा यह एक पक्षकारान के हित की ओर इशारा किया जाना स्पष्टतया प्रतीत होता है। जबकि कब्जा स्वयं अपीलांट का अपने हिस्से का पूरा का पूरा है तथा वह भी सड़क के चिपते हिस्से वाला पूरा है। तब ऐसी स्थिति में जो आदेश पारित किया गया है तथा उस अनुरूप जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वह काबिल ए अपास्त होने योग्य हैं। पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई उसी को सत्य मानते हुये तहसीलदार ने ज्यों की त्यों अधिनस्थ न्यायालय को भिजवा दी। पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलांट को जो भुमि हिस्से मे लेना दर्शाया है, वह मुख्य सडक वाली नहीं हैं तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को भी मुख्य सडक वाली कृषि भूमि देना दर्शाया है, साथ ही आवागमन व नाप में भी भिन्नता है। पटवारी रिपोर्ट एक तरफा व मनमानी है, जो मिली भगत करके तैयार करवाई गई हैं एवं अपीलांट की अनुपस्थिति में बनाई गई है। इस पर न तो कोई सूचना ही अपीलांट को दी गई, न ही इस बाबत कोई जानकारी ही अपीलांट को रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी अपीलांट ने यह आपत्ति की थीं तथा निवेदन किया था कि बंटवाड़ा की प्रस्तावित रिपोर्ट आर.आई. द्वारा मंगवाई जाना लाजमी था। जिसको नहीं मानने का कोई कारण अंकित किये बिना ही जो आदेश पारित किया गया है, वह काबिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

ए अपास्त होने योग्य है। अपीलांट ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में भी स्पष्टतया अपना हिस्सा दर्शाया था, जिसको प्रतिवादीगण ने इंकार नहीं किया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तावित बंटवाडा रिपोर्ट अंतिम सत्य मानकर भारी कानूनी भूल की हैं। प्राथमिक डिक्री का आदेश विधि अनुसार पारित नहीं किया गया है। बिना पक्षकारों को सुने व उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किये बिना व साक्ष्य लिये बिना प्राथमिक डिक्री पारित ही नहीं की जा सकती थीं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की हैं। जोकि सर्वथा अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण में निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत कीः—

1. 2016 (1) RRT 87
2. 2011-12 (Supp.) RRT 698

हमनें विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन—अवलोकन करते हुए प्रकरण के सम्यक निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2018 को अपीलांट वादी एवं रेस्पोंडेंट दोनों की उपस्थिति में निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसका प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 27.06.2018 को जारी किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 29.05.2019 को प्रस्तुत की। जो लगभग 11 माह अर्थात लगभग 330 दिवस के विलंब से प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एक मनमाना आदेश है, जो विधिविरूद्ध व नियमविरूद्ध है। अपीलांट ज्यादा पढ़ा—लिखा नहीं हैं तथा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अतः देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई हैं। जिसकी अपीलांट को भलीभांति जानकारी थीं। अपीलांट द्वारा जानबूझकर व लापरवाहीपूर्वक विलंब किया है। जो सद्भाविक व युक्तियुक्त नहीं हैं। जिसे माफ नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट म्याद बाहर होने से खारिज फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 27.06.2018 पर वादी अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना निर्विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किए जाने के लिए डिक्री किया गया है। अतः अपीलांट्स का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि व नियमों के विपरीत तथा एक पक्ष को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना आदेश पारित किया गया है। हमारे विनम्र मत में पूर्णतया आधारहीन कथन है। जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री किसी प्रकार से विधिक प्रावधानों के विपरीत नहीं होने से इसे म्याद की सीमा से मुक्त नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात अपीलांट वादी की ओर से प्रकरण में नियमित रूप से अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जाती रही हैं तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की भलीभांति जानकारी थीं। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा कारित विलंब युक्तियुक्त, सद्भाविक व समुचित नहीं होकर अपीलांट की लापरवाही के कारण हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किया जाना हम उचित एवं विधिसम्मत नहीं मानते। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना तथा विलंबकाल माफी योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **28.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner